

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010—आश्विन 30, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्र. 6234-इक्कीस-अ (प्रा.)-शुद्धि-पत्र.— “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 1 अप्रैल 2010 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उस शब्द के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द, पढ़ा जाए:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है		शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाएं
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)	(3)	
purchased	488 (5)	17	purchases

क्र. 6235-इक्कीस-अ (प्रा.)-शुद्धि-पत्र.— “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 19 अप्रैल 2010 में प्रकाशित किए गए महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
में, “संस्कृत” जाएं;	520	18	में, शब्द “संस्कृत” जाएं.
	520	19	

राजेश यादव, अपर सचिव.

भाग ४ (ग)—कुछ नहीं